

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-83/1505/एक-1-2016-1(8)/2014

लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) और उक्त केन्द्रीय अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी परगना अटवापिपरिया का वन ग्राम का गाटा संख्या और क्षेत्र, जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित था, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्राम देवीपुर में सम्मिलित किया जायेगा और निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय, जो वन ग्राम देवीपुर के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा है, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

2. पूर्वोक्त खण्ड के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	वन ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 एवं 3 में उल्लिखित भूमि स्थित है।	राजस्व ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ- 2 और 3 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेंगी।	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)
1	2	3	4	5	6
1	1	0.730	देवीपुर वन	देवीपुर	44.419 हेक्टेअर
2	2	0.820			
3	3	0.050			

4	4	0.480			
5	5	0.380			
6	6	0.170			
7	7	0.110			
8	8	0.250			
9	9	0.260			
10	10	0.100			
11	11	0.120			
12	12	0.160			
13	13	0.180			
14	14	0.180			
15	15	0.260			
16	16	0.030			
17	17	0.130			
18	18	0.060			
19	19	0.330			
20	20	0.320			
21	21	0.240			
22	22	0.430			
23	23	0.200			
24	24	0.080			
25	25	0.100			
26	26	0.040			
27	27	0.080			
28	28	0.070			
29	29	0.100			

30	30	0.310			
31	31	0.240			

-3-

-3-

32	32	0.220			
33	33	0.025			
34	34	0.060			
35	35	0.080			
36	36	0.060			
37	37	0.090			
38	38	0.100			
39	39	0.170			
40	40	0.550			
41	41	0.080			
42	42	0.090			
43	43	0.030			
44	44	0.160			
45	45	0.140			
46	46	0.025			
47	47	0.090			
48	48	0.170			
49	49	0.320			
50	50	0.120			
51	51	0.020			
52	52	0.025			
53	53	0.984			
54	54	0.040			
55	55	0.035			
56	56	0.030			
57	57	0.030			

58	58	0.210			
59	59	0.050			
60	60	0.110			

-4-

-4-

61	61	0.280			
62	62	0.490			
63	63	0.260			
64	64	0.570			
65	65	0.040			
66	66	0.240			
67	67	0.260			
68	68	0.150			
69	69	0.070			
70	70	0.270			
71	71	0.245			
72	72	0.170			
73	73	0.160			
74	74	0.200			
75	75	0.370			
76	76	0.150			
77	77	0.720			
78	78	0.560			
79	79	0.130			
80	80	0.170			
81	81	0.080			
82	82	0.160			
83	83	0.050			
84	84	0.450			
85	85	0.225			

86	86	0.735			
87	87	0.030			
88	88	0.220			
89	89	0.110			
90	90	0.090			

-5-

-5-

91	91	0.140			
92	92	0.200			
93	93	0.110			
94	94	0.100			
95	95	0.110			
96	96	0.560			
97	97	0.080			
98	98	0.390			
99	99	0.340			
100	100	0.160			
101	101	0.130			
102	102	0.090			
103	103	0.150			
104	104	0.075			
105	105	0.265			
106	106	0.110			
107	107	0.410			
108	108	0.100			
109	109	0.075			
110	110	0.360			
111	111	0.270			
112	112	0.120			
113	113	0.160			

114	114	0.460			
115	115	0.220			
116	116	0.210			
117	117	0.430			
118	118	0.800			
119	119	0.030			
120	120	0.170			

-6-

-6-

121	121	0.180			
122	122	0.065			
123	123	0.130			
124	124	0.130			
125	125	0.810			
126	126	0.310			
127	127	0.350			
128	128	0.420			
129	129	0.170			
130	130	0.320			
131	131	0.210			
132	132	0.220			
133	133	0.190			
134	134	0.170			
135	135	0.225			
136	136	0.235			
137	137	0.940			
138	138	0.050			
139	139	0.300			
140	140	0.380			
141	141	0.100			

142	142	0.120				
143	143	0.440				
144	144	वन विभाग जंगल				
145	145	0.210				
146	146	0.570				
147	147	0.390				
148	148	0.150				
149	149	0.330				
150	150	0.300				

-7-

-7-

151	151	0.250			
152	152	0.185			
153	153	0.240			
154	154	0.250			
155	155	0.250			
156	156	0.400			
157	157	0.110			
158	158	0.280			
159	159	0.050			
160	160	0.460			
161	161	0.140			
162	162	0.080			
163	163	0.110			
164	164	0.420			
165	165	0.060			
166	166	0.080			
167	167	0.090			
168	168	0.040			
169	169	0.160			

170	170	0.570			
171	171	0.240			
172	172	0.320			
173	173	0.310			
174	174	0.580			
175	175	0.620			
176	176	0.580			
177	177	0.470			
178	178	0.080			
179	179	0.350			
180	180	0.240			

-8-

-8-

181	181	0.100			
182	182	0.100			
183	183	0.180			
184	184	0.890			
185	185	0.700			
186	186	0.415			

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।